सरदार सरोवर विवाद

प्रवीण कुमार

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से सरदार सरोवर की ऊंचाई 90 मीटर करने की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। यह बात अलग है कि इस ऊंचाई से होने वाले सम्भावित विस्थापितों के पुनर्वास की दिशा में कोई गम्भीर पहल नहीं हुई है (गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला में कहा गया था कि फैसले से तीन सप्ताह के भीतर ही विस्थापितों का पूर्ण पुनर्वास किया जाएगा)। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की थी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहे इन शब्दों ''नदी घाटी परियोजनाएं आदिवासियों को उजाड़ रही हैं'' से विस्थापित हो रहे लोगों में कुछ आशा जगी है। इस मसले पर चर्चा बदस्तूर जारी है। इसी चर्चा की एक कड़ी की बतौर प्रस्तुत है प्रवीण कुमार का यह लेख।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर बांध के निर्माण को हरी झण्डी दे दी, जो पिछले छह वर्षों से रुका पड़ा था। इस संदर्भ में कुछ तथ्य गौरतलब हैं।

पिछले वर्ष भारत के कम्प्ट्रोलर व ऑडिटर जनरल (सी.ए.जी.) ने अपनी रिपोर्ट में उसी बात की पुष्टि की थी जिसे कई समितियां कहती आई हैं - इन्दिरा सागर व सरदार सरोवर परियोजना के प्रभावित लोगों के पुनर्वास की स्थिति अत्यन्त घटिया है।

मेग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित बाबा आमटे ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 'बगैर जांच पड़ताल' के दिया है और राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें। सुश्री मेधा पाटकर ने भी राष्ट्रपति से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। किन्तु सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होने की वजह से इस पर पुनर्विचार हेतु सर्वोच्च न्यायालय में ही पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के बहुमत फैसले के अनुसार सरदार सरोवर की ऊंचाई को वर्तमान 88 मीटर से बढ़ाकर 90 मीटर किया जा सकता है। यह कार्य नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजनानुसार किया जाएगा। इसके आगे निर्माण कार्य हेतु नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति पुनर्वास व पुनर्स्थापना कार्य की प्रगति पर निर्भर होगी। योजना आयोग ने 1960 में 49 मीटर ऊंचे बांध की अनुमति दी थी। किन्तु गुजरात सरकार ने समुद्र सतह से 140 मीटर ऊंचा पूर्ण जलाशय स्तर प्रस्तावित किया। नर्मद्रा जल विवाद ट्रायब्यूनल ने पूर्ण जलाशय स्तर 138 मीटर निर्धारित किया।

सरदार सरोवर परियोजना दरअसल नर्मदा घाटी विकास परियोजना का अंग है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना बताई जाती है। इसके अन्तर्गत 30 बड़े, 135 मझोले व 3000 छोटे बांध बनाने की योजना है।

सहमति का अभाव

परियोजना अधिकारियों का दावा है कि सरदार सरोवर परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसके सम्बंध में सर्वाधिक अध्ययन हुए हैं। किन्तु इस बात पर कोई आम सहमति नहीं है कि इस परियोजना से कितने लोग विस्थापित होंगे। सन 1985 में यह संख्या 6603 बताई जाती थी। 1996 में सरकारी अनुमान ही 41,000 परिवारों का था। इसी प्रकार से नर्मदा में पानी की मात्रा को लेकर भी आम सहमति नज़र नहीं आती। नर्मदा में पानी की मात्रा का निर्धारण ट्रायब्यूनल को करने देने की बजाय सम्बंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मान लिया कि नर्मदा में प्रतिवर्ष लगभग 280 लाख एकड़ फीट पानी बहता है। ट्रायब्यूनल ने इस आंकड़े के आधार पर पानी का बंटवारा कर दिया और सरदार सरोवर का पूर्ण जलाशय स्तर 138 मीटर तय कर दिया। दरअसल सिंचाई सम्बंधी गणनाओं से पूर्ण जलाशय स्तर 133